(16)

1

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक– /2018 निगरानी

निगरानी– 4299/2018/मुरैना/भू.रा.

श्री विनोद द्विवेदी एड. द्वारा आज दि. 4.7.018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13.7.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-7-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. रामवीर सिंह पुत्र श्री बृजमोहन सिंह
2. श्यामवीर सिंह पुत्र श्री बृजमोहन सिंह समस्त जाति परिहार ठाकुर, निवासीगण – ग्राम मानधाता का पुरा मौजा रजोधा तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

———आवेदकगण

बनाम

1. राजवीर सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति ठाकुर, निवासी – ग्राम मानधाता का पुरा मौजा रजोधा तह0 पोरसा जिला मुरैना
2. सोवरन सिंह पुत्र कलियान सिंह
3. भैरोसिंह पुत्र कलियान सिंह
4. कोकसिंह पुत्र कलियान सिंह
5. अर्जुन सिंह पुत्र कलियान सिंह
6. भीमसेन सिंह पुत्र कलियान सिंह जाति परमार ठाकुर, निवासीगण – ग्राम मेहदोरा तह0 पोरसा जिला मुरैना म0प्र0

————अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय माननीय अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 228/2017–18 अपील मे पारित आदेश दिनांक 11–04–2018 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4299/2018/मुरैना/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-9-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित । अनावेदक राजवीर सिंह ~~स्वत: अपने~~ अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर सहित उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया । उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया कि उनके पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया था । अपर आयुक्त द्वारा राजीनामे का उल्लेख अपने आदेश में किया है परंतु राजीनामा के अनुसार प्रकरण का निराकरण न करते हुए प्रकरण समाप्त किया है जो न्यायिक एवं विधिसम्म्त नहीं है । दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर प्रकरण का निराकरण राजीनामे के अनुसार किए जाने का अनुरोध किया । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे की प्रमाणित प्रति तथा इस न्यायालय में भी उनके मध्य हुए राजीनामा की प्रति पेश की गई है । 2/ दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया । चूंकि इस प्रकरण में विवाद प्राइवेट पक्षों के मध्य निजी भूमि से संबंधित है । अत: विचारोपरांत उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे राजीनामे के अनुसार वसीयतकर्ता आशाराम सिंह द्वारा आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 02-1-17 के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही करें । यह निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है । प्रशासकीय सदस्य	19.9.2018 19 9 18